न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 254/2019 दिनांक–23–12–2019

मूलचन्द पुत्र भगुताराम जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुभाष चन्द्र आर्य
वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
:: निर्णय ::

दिनांक : 05–03–2020

वादी ने एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की व उसके परिवार की भूमि खसरा नम्बर 136 ग्राम भगेरा पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ में स्थित है, जिमसें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है, इस भूमि के कब्जे काश्त बाबत किसी तरह का विवाद नही है। प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द पुत्र भगुताराम है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मूलचन्द के स्थान पर मूला पुत्र भगुताराम दर्ज किया गया है, जो गलत है, प्रार्थी के पिता का नाम रिकार्ड में सही है। केवल प्रार्थी का नाम मूलचन्द की जगह रिकार्ड में मूला दर्ज हो गया है, जिसका दुरूस्ती के लिये यह वाद पेश किया जा रहा है।

आधार कार्ड, राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द पुत्र भगुतार दर्ज है, राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पर रहा है। प्रार्थी का नाम प्रार्थी के अन्य राजकीय दस्तावेजो आधार कार्ड राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड के अनुसार मूलचन्द पुत्र भगुताराम घोषित किया जाकर प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में भी मूला पुत्र भगूताराम के स्थान मूलचन्द पुत्र भगुताराम दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 136 ग्राम भगेरा मे होने के कारण प्रार्थी का निवासी ग्राम भगेरा मे होने के कारण श्रीमान को दावा सुनने का क्षैत्राधिकार हैं

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि ग्राम भगेरा पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ के भूमि खसरा नम्बर 136 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मूला पुत्र भगुताराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र भगुताराम नाम घोषित किया जाकर मूला पुत्र भगुताराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र भगुताराम दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

किया जावे तथा तद्नुसार डिक्री बनाई जावे तथा तहसीलदार नवलगढ़ को नाम दुरूस्ती का आदेश भी दिया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) नवलगढ की ओर राज पैरोकार उपस्थित। राज पैरोकार द्वार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में रिकार्ड के अनुसार वादी का नाम मूला पुत्र भगुताराम हिस्सा 1/3 जाति धाबाई साकिन देह खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। यह उक्त भूमि में सह खातेदार है तथा मौके पर सह खातेदारों एवं पड़ौसी खातेदारों द्वारा मुला व मूलचन्द उक्त दोनो नामों का एक ही व्यक्ति वादीा को होना बताया है तथा वादी ने प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में भी वादी का नाम मूलचन्द पुत्र भगुताराम दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सह खातेदारों एव पड़ौसी खातेदारों ग्रामीणों के अनुसार वादी का नाम शुद्ध नाम मूलचन्द पुत्र भगुताराम किया जाना उचित है, की सहमति प्रदान की गई है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें वादी का नाम मूलचन्द अंकित है तथा तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार भी वादी का सही नाम मूलचन्द होना वर्णित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वादी वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भगेरा में स्थित भूमि 136 रकबा 2.79 हैक्टर में वादी का नाम मूला पुत्र भगुताराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र भगुताराम जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी भगेरा दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 254 / 2019 (मूलचन्द बनाम राजस्थान सरकार वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर॰ ए॰ एस॰),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **05–03–.2020** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भगेरा में स्थित भूमि 136 रकबा 2.79 हैक्टर में वादी नाम मूला पुत्र भगुताराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र भगुताराम जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी भगेरा दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जिन...........–............ मुबलिग...........–...........बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **05** माह **03** सन **2020** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	05.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 11:43:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: